भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1022

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

रोजगार के नए अवसरों का सृजन

1022. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में बेरोजगारी उन्मूलन के लिए रोजगार के नए अवसरों के सृजन हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं तथा उक्त अवधि के दौरान कितने युवाओं को रोजगार मिला है**;**

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में सृजित नौकरियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में सृजित नौकरियों का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जो वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार दर्शाता है, इस प्रकार है:

(में %)

वर्ष	डब्ल्यूपीआर
2019-20	34.7
2020-21	36.1
2021-22	36.8
2022-23	40.1
2023-24	41.7

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में कामगारों के जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जो युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए रोजगार दर्शाता है, में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति है। इसके अलावा, राजस्थान राज्य में युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित डब्ल्यूपीआर 2019-20 में 37.9% से बढ़कर 2023-24 में 44.1% हो गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिन्हें एमओएसपीआई की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/downloadreports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। 31.01.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.34 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

सरकार ने बजट 2024-25 में, 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ, 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की। केंद्रीय बजट **2025-26** में भी विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की रोजगार सृजन पहलों की भी घोषणा की गई है।

****